हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश वन विभाग

हिमाचल प्रदेश वन से समृद्धि परियोजना
विश्व बैंक सहायता

जनजातीय विकास फ्रेमवर्क

कार्यकारी सारांश
फाइनल रिपोर्ट

नवम्बर 2018

Submitted By
Samaj Vikas Development Support Organisation
with
Center for Excellence in Management and Technology Pvt. Ltd.

हिमाचल प्रदेश वन से समृद्धि परियोजना - (Himachal Pradesh Forestry for Prosperity)

वन के उत्पाद इको-सिस्टम सेवाओं (eco-system services) का एक स्रोत हैं। अतः इन्से प्राप्त होने वाले बहु लाभों को ध्यान में रखते हुए इनके प्रबंधन कि आवश्यकता है, जिससे न केवल लकडी (टिम्बर) व अन्य वन उत्पादों से स्टेकहोल्डर को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा **"हिमाचल प्रदेश वन से समृद्धि परियोजना"** विकसित की गई है जिसका कियान्वयन "हिमाचल प्रदेश वन विभाग" द्वारा किया जाएगा।

इस परियोजना के उद्देश्य हैं हिमाचल प्रदेश में चयनित स्थलों पर वनों और चरागाहों के शासन, प्रबंधन और सामुदायिक उपयोग में सुधार करना इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित रणनिति को अपनाया जाएगा राज्य की संस्थागत क्षमता को मजबूत करके, कोर वानिकी संचालन की दक्षता में सुधार, सामुदायिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहन के अवसर पैदा करना और प्रभावी वन प्रशासन के लिए चुनिंदा एनटीएफपी की मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के लिए यह पंचवर्षिय परियोजना राज्य के अंतर्गत आने वाले सतलुज नदी के आवाह क्षेत्र के 7 जिलों, 10 वन विभाग और 21 वन रेंज में कियान्वित की जाएगी; हालांकि घटक 1 पूरे राज्य को कवर करेगा।

परियोजना के घटक हैं

1) एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्लूएम) और वेहतर वन प्रबंधन में संस्थागत सुधार और क्षमता निर्माण के लिए जिसमें ए) समेकित वाटरशेड प्रबंधन और वी) वन विभाग के संस्थागत सुधार और क्षमता निर्माण के लिए,

2) सहभागिता और सतत भूमि और जल प्रबंधन में कुल निवेश जिसमें ए) भूमि और जल प्रबंधन में भागीदारी के लिए वेहतर योजना और वी) भागीदारी और दुरगामी भूमि और जल प्रबंधन में निवेश (मृदा और जल संरक्षण उपायों, उच्च गुणवत्ता वाले बीज स्टैंड, नर्सरी विकास, बागान प्रबंधन, चरागाह प्रबंधन और वन अग्नि रोकथाम और दमन) का कार्यान्वयन,

3) एनटीएफपी और अन्य वस्तुओं के लिए सुदृढ़ और समावेशी मूल्य श्रृंखला जिसमें ए) एनटीएफपी और अन्य वस्तुओं के लिए उन्नत व्यापार अवसर बनाना, वी) दुरगामी संग्रह / उत्पादन के उपाय और उत्पादकों को बाजारों से जोड़ने के प्रयास और

4) संस्थागत समन्वय और परियोजना प्रबंधन जिसमें ए) संस्थागत समन्वय और बी) परियोजना प्रबंधन।

प्रमुख परियोजना लाभार्थियों में वन क्षेत्रों के निवासी व समुदाय, विशेष रूप से महिलाऐं और एनटीएफपी कलेक्टरों के साथ-साथ चरवाहे / ट्रांसहुमेंट, जो चारा, औपधीय और सुगंधित पौधों और फलों के पेड़ों सहित एनटीएफपी से वेहतर पहुंच और मूल्य से लाभान्वित होंगे। यह परियोजना एचपीएफडी और अन्य सरकारी अधिकारियों के कौशल और क्षमता के साथ-साथ चयनित मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल निजी कंपनियों को भी वढ़ाएगी।

जनजातीय विकास फ्रेमवर्क (Tribal Development Framework)

परिचय (Introduction)

एचपी के कुल **55,673** वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग **23,655** वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शेडयूल वी क्षेत्र में आता है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का **42.49** प्रतिशत है। अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाली कुल आबादी **173,661** है, जिसमें से **123,585** आदिवासी हैं जो इस क्षेत्र में रहने वाली कुल जनसंख्या का लगभग **71.16** प्रतिशत है। **2011** की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों में एचपी के जनजाति आर्थिक तौर पर बेहतर हैं। लगभग **21.37** प्रतिशत एसटी ग्रामीण परिवारों की आय **10,000** रुपये प्रति माह से अधिक है और **42.76** प्रतिशत जनजातीय परिवारों की सिंचित कृषि भूमि है। वेतनभोगी सरकारी नौकरियों में भी, एचपी के आदिवासी अन्य राज्यों से आगे हैं, जिनमें सरकारी नौकरी में कम से कम एक सदस्य के साथ **23.72** प्रतिशत ऐसे परिवार हैं।

हालांकि, दूरदराज के और भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों (लाहौल, स्पीति, किन्नौर और चंबा जिलों) में उनकी मौजूदगी के कारण सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुंच बहुत कम है, जो जनजातीय क्षेत्रों में सीमित स्वास्थ्य और शिक्षा बुनियादी ढांचे के साथ-साथ कम मानव विकास उपलब्धियों में भी दर्शाती है। जनजातीय क्षेत्रों में औसत भूमि आकार लगभग **1.16** हेक्टेयर है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन खेतों की फसल सघनता (cropping intensity) घटकर **136** से **124** प्रतिशत हो गई है, जिसका मुख्य कारण पानी की कमी, सिंचाई सुविधाओं की कम उपलब्धता और कम रिटर्न हैं। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की आधिकारिक सूची में ए) गद्दी, बी) गुज्जर, सी) किन्नारा या किन्नौरा, डी) लाहौला और ई) पंगवाल व कुछ अन्य छोटी जनजातियों जैसे भोट / बोध, बेदा, जाद / लांबा / खम्पा और स्वंगला आदि आते हैं। हिमाचल की जनजातियों का आम तौर पर पहाड़ियों के ऊपरी और मध्यम स्तर पर निवास होता है। ऐसा माना जाता है कि एचपी के अधिकांश आदिवासी समूह समय-समय पर मैदानी इलाकों और आस-पास के क्षेत्रों से आते हैं।

एसटी आबादी, लाहुल और स्पीति और किन्नौर में राज्य के दो ग्रामीण जिलों में क्रमशः प्रभावी है, जहां वे क्रमशः जिलों की कुल आबादी का **81%** और **58%** योगदान करते हैं। **2011** में इन क्षेत्रों में कुल साक्षरता दर लगभग **82%** थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर **89%** थी और महिला साक्षरता दर **75%** थी। अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता प्रतिशत **2001** में **65.5%** से बढ़कर **2011** में **73.64%** हो गया है; पुरुष साक्षरता दर **83.17%** थी जबकि **2011** में महिला साक्षरता दर केवल **64.20%** थी, जो राज्य के औसत से काफी कम थी और उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में काफी कम थी। मुख्य रूप से कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थलाकृति के कारण जनजातीय क्षेत्रों में खराब सड़क कनेक्टिविटी भौगोलिक अलगाव पैदा करती है, बुनियादी सार्वजनिक सामानों और सेवाओं की बाजारों तक पहुंच प्रतिबंधित करती है और आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर उच्च निर्भरता पैदा करती है।

वन से समृद्धि परियोजना का परियोजना विकास उद्देश्य (पीडीओ) हिमाचल प्रदेश में चयनित वाटरशेड में वन प्रबंधन और समुदायों की पहुंच में सुधार करना है। पीडीओ द्वारा मध्यम-अवधि से दीर्घ अवधि के परिणामों में लक्षित हैं वाटरशेड में बेहतर जल प्रवाह और तलछट विनियमन में योगदान होने की उम्मीद है।

परियोजना में निम्नलिखित पीडीओ संकेतक होंगे:

- पीडीओ संकेतक **1**: चयनित वन भूमि क्षेत्र जो की साइट-विशिष्ट प्रबंधन योजनाओं (हेक्टेयर) के अनुसार प्रबंधित की जाती है
- पीडीओ संकेतक **2**: उत्पादक गठबंधन (संख्या) व्यापार योजना के अनुसार परिचालित; केवल महिला समूह जिसका लक्ष्य **50** प्रतिशत है
- पीडीओ संकेतक **3**: लक्ष्य 'लाभार्थी' के साथ लक्षित लाभार्थियों का हिस्सा या परियोजना के हस्तक्षेप के प्रभाव और प्रभाव पर उपरोक्त (प्रतिशत, लिंग द्वारा पृथक)

इस परियोजना का जनजातीय विकास फेमवर्क को व्यापक साहित्य समीक्षा, परियोजना हितधारकों के साथ चर्चा के साथ-साथ राज्य के मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों (किन्नौर जिले) में सामुदायिक परामर्श से बनाया गया है।

संवैधानिक, कानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपाय (Constitutional, Legal and Institutional Safeguards)

भारत के संविधान ने देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और उनके निवास स्थान के भौगोलिक क्षेत्रों में विकास सुविधाओं की पहुंच की कमी को ध्यान में रखकर प्रावधान किए हैं। मुख्य सुरक्षा उपायों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों का प्रचार और अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा शामिल है। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं) अनुच्छेद **14**, समान अधिकारों और अवसरों से संबंधित, बी) अनुच्छेद **15**, लिंग, धर्म, जाति, इत्यादि के आधार पर भेदभाव को प्रतिवंधित करता है, सी) अनुच्छेद **15 (4)** , विशेष प्रावधान करता है एसटी के लिए, डी) अनुच्छेद **16 (3)** , राज्यों को एसटी के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है, ई) अनुच्छेद **46**, एसटी के विशेष देखभाल शैक्षणिक और आर्थिक हितों के साथ प्रचार करने के लिए, सामाजिक अन्याय से सुरक्षा और शोषण, एफ) अनुच्छेद **275** (I) , अनुसूचित जनजाति के लक्षित कल्याण को वढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता, जी) अनुच्छेद **330**, **332**, **335**, लोकसभा और राज्य सभाओं में एसटी के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित और एच) अनुच्छेद **339**, **340**, एसटी के कल्याण और संघ की जांच के लिए संघ के नियंत्रण से संबंधित है।

एसटी के सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम ''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, **1989**, एचपी पंचायत राज अधिनियम, **1994**, अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायत विस्तार (पीईएसए) अधिनियम, राष्ट्रीय वन नीति **1988**, इत्यादि। कुछ ऐसे कृत्य जो वनों के साथ जनजातीय हितों को पहचानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, ए) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, **2006**, और वी) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति: (अत्याचार रोकथाम) नियम, **1995**। भूमि अलगाव, उधार, ऋण राहत और बंधुआ श्रम आदि के खिलाफ कई सुरक्षात्मक और विरोधी शोषण उपाय हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, **1972** के कुछ शर्तों के तहत आदिवासी भूमि पर केवल कुछ वुनिंदा मामलों के, किरायेदारी का अंत हो गया है। इन प्रावधानों के माध्यम से संविधान भी एक अलग संस्थागत सेट-अप (एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं- आईटीडीपी) और समांतर बजटीय प्रावधान है (आदिवासी उप-योजना-टीएसपी) जिसमे पर्याप्त वित्त (जनजातीय आबादी के अनुपात में) और जनजातीय विकास के लिए कुछ कार्यक्रमों को लागू करने और अन्य विभागों द्वारा लागू योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी प्रदान करने के लिए समर्पित कार्यकर्ता ओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है।

संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Areas under Fifth Schedule of Constitution)

अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए, अनुच्छेद **244 (2)** के तहत संविधान में ''पांचवीं अनुसूची'' का प्रावधान स्थापित किया गया है जो मुख्य जनजातीय आवादी वाले कुछ क्षेत्रों की पहचान करता है जहॉ उनकी आवादी और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष सुरक्षा और उपायों की आवश्यकता होती है और इन क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ग्राम सभा की प्रशासनिक व्यवस्था और सहमति प्रदान करता है। एचपी में इन अधिसूचित क्षेत्रों में **3** अनुसूची वी जिलों (पूरी तरह से व आंशिक), **2** अनुसूची वी जिलों (पूरी तरह से कवर) (लाहौल और स्पीति, और किन्नौर) , **1** अनुसूची वी जिला (आंशिक कवर) (चंबा) , अनुसूची वी में **7** ब्लॉक हैं ।अनुसूची वी क्षेत्रों में **151** ग्राम पंचायत और **806** राजस्व गांव हैं। किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले पूरी तरह से, और पंगी और भारमौर (अब तहसील भारमौर और उप-तहसील होली) चंबा जिले के उप-प्रभाग राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों का गटन करते हैं।

जनजातीय विकास के लिए राज्य रणनीति (State Strategy for Tribal Development)

जनजातीय क्षेत्रों के साथ, एसटी आवादी का **100%** उप-योजना के तहत कवर किया गया था। **5** आईटीडीएफ को धन के वरावर प्रवाह के लिए, राज्य ने **40%** जनसंख्या में भार, अनुसूची वी के तहत क्षेत्र में **20%** और प्रत्येक आईटीडीपी के लिए सापेक्ष आर्थिक पिछड़ेपन के लिए **40%** के आधार पर धन के वितरण के लिए एक उद्देश्य सूत्र विकसित किया है। इस सूत्र के आधार पर, प्रत्येक आईटीडीएफ का हिस्सा ए) किन्नौर **-30%**, लाहौल **-18%**, स्पीति **-16%**, पंगी **-17%** और भर्मौर **-19%** है।

जनजातीय विकास विभाग राज्य के अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम करता है। अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की कई योजनाएं हैं जिनमें ए) आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, वी) अनुच्छेद **275**

(1) के तहत सहायता में अनुदान, सी) जनजातीय समुदायों के लिए कौशल विकास, डी) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटीसी) , ई) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वन उत्पादन (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र, एफ) जनजातीय उत्पादों / उत्पादन के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन और जी) आदिवासी सहकारी के माध्यम से समर्थन जनजातीय कलाकृतियों / एमएफपी के कौशल विकास और विपणन के लिए भारत के विपणन विकास संघ लिमिटेड (TRIFED) । विभाग का प्रमुख कार्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमों को लागू करना, राज्य की जनजातीय उप-योजना तैयार करना, इन फंडों के लिए चैनलिंग एजेंसी के रूप में कार्य करना, विभिन्न एजेंसियों द्वारा निधियों के उपयोग का समन्वय करना और निगरानी करना व जनजातीय क्षेत्रों में लाइन विभाग और आईटीडीपी में कार्यों को लागू करना है।

अनुसूचित जाति / जनजाति विकास निगम आदिवासी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आदिवासी समुदायों के लिए स्व-रोजगार और आय उत्पादन के अवसरों की पहचान करके, कौशल उन्नयन, संस्थागत और मार्केटिंग समर्थन बढ़ाने के लिए उन व्यवसायों में प्रवेश करने या उन्हें वेहतर बनाने का काम करता है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आय वद्धर्न योजनाओं के लिए एससीए और अन्य योजनाओं के माध्यम से रियायती वित्त प्रदान करना।

वन विभाग में कई कार्यक्रम भी जनजातीय विकास में योगदान देते हैं। जनजातीय समुदाय वन भूमि पर वृक्षारोपण वढ़ाने में भाग लेते हैं और उनके द्वारा किए गए वृक्षारोपण से ईधन और चारा इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त है। जनजातीय समेत स्थानीय समुदायों को एनटीएफपी निकालने का अधिकार है और समय-समय पर सरकार के स्वामित्व वाले जंगलों से लकड़ी प्राप्त होती है। हालांकि, इन जंगलों में लगातार वढ़ती आवादी के कारण लकड़ी की मांग को पूरा करने के लिए भारी दवाव आ गया है। इन में ट्रॉसहयूमैन्टस के साथ अन्य समुदाय ऊन, मांस इत्यादि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जानवरों के बड़े झुंड पालते हैं और जंगलों और लंवे समय से सरकारी स्वामित्व वाले चरागाहों तक पारंपरिक पहुंच का आनंद ले रहे है। इन चरागाहों और जंगलों में कुछ प्रवासी चरवाहे या ट्रांसहुमेंट्स मौसमी तौर पर आते हैं।

जनजातीय विकास फ्रेमवर्क और कार्यान्वयन (Tribal Development Framework and Implementation)

मूल्यांकन और परामर्श से कई मुद्दे उभरे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के प्रमुख सुझाव हैं **1)** वन प्रवंधन, अधिकारों और समुदायों के अधिकारों के संवंध में अधिक जानकारी की आवश्यकता है, **2)** वानिकी संचालन में शामिल होने के अवसर, नर्सरी वढ़ाने, वृक्षारोपण स्थलों के विकास, आय वृद्धि के लिए, **3)** टी. डी के के रूप में जंगलों से अधिक लाभ, **4)** वृक्षारोपण में प्रजातियों की प्राथमिकता/पसंद या किसी क्षेत्र में सिल्विकल्चर संचालन की योजना में। इस फ्रेमवर्क के तहत संवोधित किए जाने वाले अन्य मुद्दों में ए) बुनियादी ढांचे की जरूरत, बी) भंडारण / प्रसंस्करण / विपणन से संबंधित उत्पादन, सी) रोजगार के अवसर संबंधित और डी) चरागाह संबंधित मुद्दे हैं।

इस फ्रेमवर्क के तहत प्रस्तावित घटक इस प्रकार हैं ए) जागरूकता, बी) आदिवासी सामाजिक-आर्थिक आधारभूत विकास, सी) उप-परियोजनाओं के सामाजिक मूल्यांकन का संचालन, डी) समावेशन और प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों का पालन करते हुए, ई) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, एफ) अन्य प्रासंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण, जी) टीडीएफ के कार्यान्वयन में सहायता और एच) टीडीपी के कार्यान्वयन की निगरानी।

टीडीपी के लिए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी परियोजना के समग्र कार्यान्वयन रणनीति के साथ समन्वयित होगी, सामाजिक परियोजना पर विषय वस्तु विशेषज्ञ, मुख्य परियोजना निदेशक (सीपीडी) द्वारा प्रदान किए गए समग्र मार्गदर्शन के तहत, इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। क्षेत्र में, वीट स्तर (लगभग **38**) पर तैनात सामुदायिक सुविधाकार समुदाय से परामर्श का आयोजन करेंगे, परियोजना के वारे में जागरूकता पैदा करने और संभावित हस्तक्षेप के लिए, आदिवासी समुदायों की पूर्व सूचित सहमति (एफपीआईसी) लेंगे व परियोजना गतिविधियों, समुदाय की जरूरतों / प्राथमिकताओं को समझने और दस्तावेज करने का कार्य करेंगे।

एक सलाहकार (**2** साल की अवधि के लिए) भर्ती किया जाएगा जो आदिवासी विकास योजना का वन विभाग और क्षेत्रीय कार्या लयों के समर्थन के साथ निर्माण करेगा। टीडीएफ लागू करने के लिए बजट प्रावधान **1.8** करोड़ रुपये है।